uxj ipk;r lUuh] ftyk f'keyk] fgekpy in'k d y[kkvk dk vd{k.k o fujh{k.k ifronuA

vof/k 01-04-2008 l 31-03-2011 rd

Hkkx&,d

iljk 1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत सुन्नी, जिला षिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vd{k.k vof/k d nkjku vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh d in ij fuEufyf[kr i/kku o lfpo dk;jr jg %&

i/kku %&

Øekd	uke	vof/k
1	श्रीमति श्यामादेवी	01.04.08 से 21.05.08
2	श्रीमति लता शर्मा	06.09.08 से 20.01.11
3	श्रीमति सुनिता देवी	22.01.11 से 31.03.11

lfpo %&

Øekd	uke	vof/k
1	श्रीमति कंगनबाला	01.04.08 से 30.06.10
2	श्री राजपाल भारद्वाज नायब तहसीलदार (कार्यकारी सचिव)	01.08.10 से 31.03.11

¼[k½ <u>uxj iapk;r lqUuh dk ys[kkvksa dk vads{k.k vof/k 04@2008 ls 03@2011 esa ikbZ xbZ xEHkhj vkifÙk;ksa dk lf{kIr lkj</u> ¼&

नगर पंचायत सुन्नी, जिला षिमला के लेखाओं अवधि 04/08 से 03/11 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

Øekad	xEHkhj vfu;ferrk	iSjk la[;k	jkf'k yk[kksa esa
1.	एन0एस0डी0पी0 के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान की राषि का निर्माण कार्यों में व्यय न करना	5.1	8.23
2.	3rd वित्त आयोग के अर्न्तगत अवधि 04/08 से 03/11 में प्राप्त अनुदान राषियों का अनियमित भुगतान	5.2	25.46
3.	स्थानीय निकायों की सड़कों के रख–रखाव (Maintenance of ULB roads) के अर्न्तगत शहरी विकास से प्राप्त अनुदान राषि को खर्च न करना	5.3	6.14
4.	गृहकर की बकाया राषि की वसूली न करना	7	18.23
5.	अनाधिकृत ढंग से गृहकर भुगतान में छूट देकर करदाताओं से गृहकर की वसूली करना	7.1	2.51
6.	सरकार द्वारा घोषित दरों पर गृहकर को अधिरोपित न करने के कारण नगर पंचायत को वित्तीय नुकसान	7.2	8.79
7.	सड़क की खुदाई हेतु Telecommunication Department से Digging charge की वसूली न करना	8	1.03
8.	31.03.2011 तक नगर पंचायत के दुकानों के किराये की वसूली शेष	9	1.83
9.	मोबाईल कम्पनियों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली शेष	10	0.76

10.	श्री नरेष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता (Contract Basis) के वेतन से सी0पी0एफ0 की अनाधिकृत ढंग से कटौती करके सी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जाना	13	0.70

¼x½ xr vadk{k.k ifronu ½&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''क'' पर दर्षाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu %&

नगर पंचायत सुन्नी, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष के लेखाओं अवधि 04/2008 से 03/2011 तक का लेखा परीक्षण सर्व श्री राकेष कालरा, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) तथा अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 03.02.12 से 08.02.12 तक तथा दिनांक 02.03.12 से 09.04.12 तक किया। विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लेखाओं क्रमषः 10/08, 03/10, 12/10 तथा 12/08, 03/10, 06/10 का चयन किया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाना या अधूरी सूचनाओं पर यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके लिए अंकेक्षण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत सुन्नी के लेखों अवधि 04/2008 से 03/2011 तक का अंकेक्षण शुल्क राषि ₹14,400 बनता है जिसका विवरण परिषिष्ट ''अ'' में दिया गया है। सचिव नगर पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः शुन्य, दिनांक 09.04.12 द्वारा उक्त राषि का भुगतान रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो कि षिमला में देय हो के द्वारा परीक्षक एवं निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला–9 को करना सुनिष्चित करें तदानुसानर ड्राफ्ट संख्याः 252179, दिनांक 18. 04.2012 द्वारा राषि ₹14,400 को निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेजा जा चुका है।

4 foÙkh; fLFkfr %&

अंकेक्षणाधीन अवधि 04/08 से 03/11 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था।

नगर पंचायत सुन्नी की वित्तीय स्थिति पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/विवरण तथा अंकेक्षण दल द्वारा माह 10/08, 03/10, 02/10, 12/08, 06/10 में रोकड़ बही में दर्षाए गए आंकड़ों की जाँच पर आधारित है।

vof/k	lk/ku	ikjfEHkd 'k"k	o"k d nkjku ikIr vk;	d|y ;kx	o"k d nkjku 0;;	vUr'k"k
2008–09	अपने साधनों से	569323.72	1854160.55	2423484.27	428882	1994602.27
	अनुदानों से	1007402.00	1999396.00	3006798.00	1234243	1772555.00
	d|y ;kx	**1576725.72**	**3853556.55**	**5430282.27**	**1663125**	**3767157.27**
2009–10	अपने साधनों से	1994602.27	970216.40	2964818.67	297749.00	2667069.67
	अनुदानों से	1772555.00	2264702.00	4037257.00	2856412.00	1180845.00
	d|y ;kx	**3767157.27**	**3234918.40**	**7002075.67**	**3154161.00**	**3847914.67**
2010–11	अपने साधनों से	2667069.67	1024461.00	3691530.67	264835.00	3426695.67
	अनुदानों से	1180845.00	2674320.00	3855165.00	1548030.00	2307135.00
	d|y ;kx	**3847914.67**	**3698781.67**	**7545995.67**	**1812865.00**	**5733830.67**

नगर पंचायत सुन्नी की वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.11 को अन्तषेष की राषि ₹57,33,830.67 थी। 31.03.11 तक नगर पंचायत के विभिन्न खातों में जमा राषियों का अन्तषेष निम्न प्रकार से था।

cSd dk uke	[kkrk la[;k	jkf'k
हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक सुन्नी	5731	16,31,224.30
हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक सुन्नी	5732	8,93,527.00
हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक सुन्नी	6605	2,18,769.00
हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक सुन्नी	6644	18,808.00
हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक सुन्नी	6663	8,46,561.00
हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक सुन्नी	6703	9,69,442.00
पंजाब नैषनल बैंक	5244	11,42,887.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55130163605	16,381.37
	d|y ;kx	₹57]37]599-67

नगर पंचायत द्वारा बैंक खातों में भिन्न–भिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय को कई बार ज्यादा तथा कई बार कम जमा करवाया गया था जिसके फलस्वरूप प्राप्त राषियों के दुर्विनियोजन होने की सम्भावना रहती है अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में जी–8 रसीदों से प्राप्त आय को नियमानुसार सही योग उपरान्त बैंक खातों में जमा करना सुनिष्चित करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

4-1 बैंक रिकंसीलेषन स्टेटमैन्ट के अनुसार बैकों द्वारा बैंक खाता संख्याः 6663 व 6605 में क्रमषः राषि ₹180 तथा ₹500 का भुगतान जारी चैकों की राषि से अधिक किया गया जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को राषि ₹680 की वित्तीय हानि हुई। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिए जाते हैं कि उक्त अधिक राषि के मामले को बैंक से उठाकर समाधान करें तथा अधिक आहरित की राषि को पुनः से नगर पंचायत खातों में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4-2 बैंक रिकन्सीलेषन स्टेटमैन्ट के अनुसार नगर पंचायत ने दिनांक 06.02.09 से 21.02.09 के मध्य राषि ₹941 को कम जमा करवाया है इसके साथ–साथ रसीद संख्यः 31/41, दिनांक 26.09.08 को राषि ₹388 को बैंक खाते में जमा नहीं किया जबकि दिनांक 09.06.09, 21.07.09, 21.08.09, 05.02.10 तथा 08.10.10 में रसीदों से प्राप्त आय में राषि ₹346 को अधिक जमा करवाया है जिससे यह प्रतीत होता है कि नगर पंचायत नियमानुसार जी–8 रसीदों से प्राप्त आय को बैंक खातों में जमा नहीं कर रही । अतः दिए गए तथ्यों के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा राषि ₹983 को कम जमा करवाया है जिसे नगर पंचायत के सम्बन्धित बैंक खातों में शीघ्र जमा किया जाए।

4-3 बैंक रिकन्सीलेषन स्टेटमैन्ट के अनुसार बैंक खाता संख्याः 5732 व 5731 में राषि ₹5,479 जमा की गई दर्षाई है जबकि इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं पायी गई। राषि ₹5,479 का विवरण बैंक रिकन्सीलेषन स्टेटमैन्ट में दिया गया है। यह राषियाँ किन स्त्रोतों के अर्न्तगत सीधी बैंक में जमा हैं, का समाधान बैंकों से करके की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति रोकड़ बही में दिनांक 31.03.08 के अन्तषेष जोकि लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित के आधार पर बनायी गई है।

4-4 नगर पंचायत सुन्नी, जिला षिमला के द्वारा सावधि खातों में कोई भी राषि निवेष नहीं की थी जिसका मुख्य कारण यह है कि नगर पंचायत सुन्नी ने एक ही बैंक में 6 खातों में राषि को जमा करना था यदि इन सब खातों के स्थान पर एक बैंक खाते में अपनी आय को रखती तो

वित्तीय स्थिति में दिए विवरणानुसार नगर पंचायत सुन्नी हर वर्ष अपनी आय में कुछ एक राषि को समयावधि योजना के अर्न्तगत निवेष (invest) कर सकती थी जिससे नगर पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक धन प्राप्त होता। अतः नगर पंचायत सुन्नी को सुझाव दिया जाता है कि बिना किसी उद्देष्य से रखे इतने अधिक खातों को बन्द करके एक ही खाते में राषि को रखें और अधिक से अधिक अनुपयोग होने वाली राषि को समयावधि योजना में रखें ताकि नगर पंचायत की आय में बढ़ौतरी हो सके।

5 vuqnku

अवधि 01.04.08 से 31.03.11 तक सरकार से प्राप्त अनुदान राषियों का विवरण परिषिष्ट ''ख'' से ''द'' में दिया गया है।

5-1 ,u0,l0Mh0ih0 ds vUrxZr izkIr vuqnku jkf'k;ksa esa jkf'k ₹8]23]260 dk fuek.k dk;ksZa esa 0;; u djuk %&

अवधि 04/08 से 03/11 तक एन0एस0डी0पी0 के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान राषि में से राषि ₹8,23,260 को निर्माण कार्यों में खर्च न करके राषि को अपने पास रखना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके फलस्वरूप स्थानीय लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा जो सुविधायें उन्हें वर्ष 2009–10 व 2010–11 में मिलनी चाहिए थी वे आज तक उपलब्ध नहीं करवायी गई। अतः अनुदान राषि ₹8,23,260 का व्यय न करने बारे नगर पंचायत अपना औचित्य स्पष्ट करें तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5-2 rhljs foÙk vk;ksx ¼3rd **Finance Commission**½ ds vUrxZr vof/k 04@08 ls 03@11 esa izkIr vuqnku jkf'k;ksa esa jkf'k ₹25]45]885 dk vfu;fer Hkqxrku %&

तीसरे वित्त आयोग की सिफारिषों के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों को Maintenance of Assets (like Streets, Street Lighting, Public Toilets, Parks, Office building, Town Hall, Drainage etc., Performance of statutory and delegated function, Office expenses and Honorarium to elected representatives में उपयोग किया जाना था। जबकि नगर पंचायत सुन्नी ने उक्त शीर्ष में विभिन्न वर्षों में प्राप्त अनुदानो में से अधिकतर राषि का उपयोग स्टाफ के वेतन के भुगतान एवं पैन्षन एवं ग्रेच्यूटी के लिए किया जोकि अनियमित था इस राषि का विवरण निम्न प्रकार से था :–

o"kZ	iklr vuqnku	vfu;fer [kpZ	
		iU'ku ij	osru ij
2008–09	11,14,686	3,35,221	3,46,883
2009–10	10,58,712	3,55,642	6,02,329
2010–11	11,77,501	2,40,575	6,65,235
	dqy 0;;	9]31]438	16]14]447

वित्त आयोग ने अपनी सिफारिषों में बार–बार यह दिषा निर्देष दिए हैं कि प्राप्त अनुदानों को Assets Creation हेतु अधिकतर उपयोग करें ताकि नगर पंचायत का आय के साधनों में बढ़ौतरी हो सके तथा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। अतः अनुदान राषि को वेतन व पैन्षन के भुगतान हेतु उपयोग करने बारे अपना औचित्य स्पष्ट करें तथा वेतन एवं पैन्षन और ग्रेच्यूटी के लिए अनियमित रूप से उपयोग किए अनुदान की भरपाई अपने फण्ड से करके अनुदान राषि को सम्पति के निर्माण हेतु उपयोग करें। अतः अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5-3 LFkkuh; fudk;ksa dh lM+dksa ds j[k&j[kko ¼**Maintenance of ULB Roads**½ ds vUrxZr 'kgjh fodkl ls iklr vuqnku jkf'k esa jkf'k ₹6]14]440 dk [kpZ u djuk%&

वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान नगर पंचायत सुन्नी को कुल अनुदान राषि ₹6,14,440 सड़कों के रख–रखाव के लिए प्राप्त हुए। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत सुन्नी ने 31.03.11 तक उक्त राषि को खर्च नहीं किया जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत की सड़कों की मुरम्मत न होने के कारण सड़कों का सुधार समय पर नहीं हो सका। जबकि उक्त अनुदान को इस शर्त पर जारी किया गया था कि इन अनुदानों को वित्तीय वर्ष के अन्दर सड़कों की मुरम्मत पर खर्च किया जाएगा परन्तु नगर पंचायत ने अनुदान राषि को दी गई शर्तों के अनुसार खर्च न करने के फलस्वरूप अनुदान राषि को अनुपयोग में रखा जोकि अनियमित था। अतः नगर पंचायत उक्त अनुदान राषियों को जिस उद्देदय के लिए जारी किया गया उस पर शीघ्र खर्च करे अन्यथा अनुपयोग राषि को सरकार को वापिस करें।

6 <u>vof/k 2008&09 ls vof/k 2010&11 dk nkSjku ikfjr ctV dk vk/kkj ij vk; o O;; dk **Achieve** u djuk</u> %&

निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत सुन्नी का वर्ष 2008–09, 2009–10 व 2010–11 का बजट पारित किया था के आधार पर न तो नगर पंचायत ने आय की वसूली की और न ही व्यय के लिए किए प्रावधानो के आधार पर खर्च किया जिसका पूर्ण विवरण साथ संलग्न है। विवरण के अनुसार वर्ष 2008–09 के प्राप्त किए बजट अनुसार राषि ₹36,96,255.72 का आय प्राप्ति का लक्ष्य रखा था जिसके अनुसार नगर पंचायत सुन्नी ने वर्ष 2008–09 मे उस लक्ष्य को पूरा करते हुए राषि ₹38,53,556.55 की आय में प्राप्ति की परन्तु वर्ष 2009–10 में बजट से आय का राषि ₹64,20,657.27 का प्रावधान था जबकि नगर पंचायत ने वर्ष 2009–10 में केवल राषि ₹32,34,918.40 की कुल प्राप्ति की जोकि बजट प्रावधान के अनुसार केवल 50.38% ही थी जिससे ऐस प्रतीत होता है कि नगर पंचायत सुन्नी ने वर्ष 2009–10 में आय की वसूली हेतु गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार वर्ष 2010–11 में नगर पंचायत ने बजट में आय की प्राप्ति का लक्ष्य राषि ₹69,21,654.27 रखा था जबकि नगर पंचायत ने वर्ष 2010–11 में केवल राषि ₹36,98,781 की प्राप्ति की जोकि स्वीकृति बजट में किए प्रावधान का केवल 53.44% ही था। अतः वर्ष 2009–10 व वर्ष 2010–11 में बजट में किए प्रावधान से बहुत ही कम आय की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत अपना औचित्य स्पष्ट करें

इसी प्रकार वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 के पारित बजट में राषि क्रमषः ₹25,91,402, ₹36,93,536 तथा राषि ₹56,43,168 का व्यय का प्रावधान किया गया था जबकि नगर पंचायत ने अवधि 2008–09 में राषि ₹16,63,125 का खर्च जोकि पारित बजट का केवल 64.18% वर्ष 2009–10 में राषि ₹ 31,54,161 जोकि पारित बजट का 85.40% तथा वर्ष 2010–11 में राषि ₹18,12,865 जोकि पारित बजट का 32.12% ही था उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत सुन्नी द्वारा जो नगर पंचायत सीमा के अन्दर लोगों को सुविधायें देने का लक्ष्य रखा था वे सुविधायें उपलब्ध नहीं करवाई गई क्योंकि बजट में दिए प्रावधानों तथा किए गए वास्तविक खर्च में बहुत अन्तर है। अतः नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 में किए प्रावधानों के आधार पर राषि का व्यय न करने का औचित्य आगामी अंकेक्षण में स्पष्ट करें तथा भविष्य में बजट में किए प्रावधानों के आधार पर ही वास्तविक खर्च किया जाए ताकि नगर पंचायत सीमा के अन्दर सड़कों, बिजली, पानी, आदि की सुविधाऐं लोगों को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके।

7 xgdj dh cdk;k jkf'k ₹18-23 yk[k dh olyh u djuk %&

हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 68(2) के अर्न्तगत नगर पंचायत सीमा के अर्न्तगत जितनी भी प्रोपर्टी है, के पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गृहकर को अधिरोपित करने का प्रावधान है। नगर पंचायत सुन्नी ने अपनी सीमा पर आने वाली दुकानों, मकानों आदि पर 7.5% वार्षिक की दर से गृहकर अधीरोपित किया। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया नगर पंचायत सुन्नी ने अवधि 31.03.2011 तक गृहकर की वसूली राषि ₹18,23,313 बकाया में थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

o"k	ikjfEHkd 'k"k	ekx	dy	ikfIr	NV	vUr 'k"k
2008–08	19,63,650	4,23,237	23,86,887	8,44,114	2,51,089	12,91,684
2009–10	12,91,684	4,66,471	17,58,155	1,64,331	–	15,93,824
2010–11	15,93,824	4,29,435	20,23,259	1,99,946	–	18,23,313

उपरोक्त विवरणिका अनुसार नगर पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली बहुत ही धीमें ढंग से की जा रही है जिसके फलस्वरूप अवधि 31.03.11 तक ₹18,23,313 गृहकर की वसूली हेतु बकाया में हैं। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता हैं कि गृहकर की अत्याधिक वसूली हेतु हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 में दी धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही करें ताकि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृड़ हो सके।

7-1 vukf/kdr <x l xgdj Hkxrku e jkf'k ₹2-51 yk[k dh NV ndj djnkrkvk l xgdj dh olyh djuk %&

नगर पंचायत सुन्नी के गृहकर के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि गृहकर की अधिक से अधिक वसूली करने हेतु नगर पंचायत ने प्रस्ताव संख्याः 2 दिनांक 25.07.08 द्वारा यह निर्णय लिया की सभी गृहकर दाताओं को एक वर्ष की गृहकर की छूट देकर बकाया गृहकर की वसूली की जाएं उक्त प्रस्ताव के तहत नगर पंचायत ने वर्ष 2008–09 में गृहकर में ₹2,51,089 की अनियमित छूट दे दी। जोकि हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धाराओं के अनुसार नहीं थी यदि नगर पंचयत कर में किसी प्रकार की छूट देना चाहती है तो उसकी स्वीकृति सरकार से लेकर ही कर में छूट दिए जाने का प्रावधान है। अतः नगर पंचायत सुन्नी को सुझाव दिया जाता हे कि गृहकर में दी अनियमित छूट राषि ₹2,51,089 की वसूली सम्बन्धित कर

दाताओं से करें या फिर इस दी गई छूट की कार्योत्तर स्वीकृत हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा–80(1) के अर्न्तगत सरकार से प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7-2 **l jdkj }kjk ?kkf"kr njk ij xgdj dk vf/kjkfir u dju d dkj.k uxj ipk;r dk jkf'k ₹8-79 yk[k dk foÙkh; udlku %&**

निदेशक, हिमाचल प्रदेष शहरी विकास विभाग की नोटिफिकेषन संख्याः यू0डी0–एच(सी) 10/7–98–11, दिनांक 17.11.2003 के द्वारा हिमाचल प्रदेष की सभी स्थानीय निकायों को सूचित किया था कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक हर वर्ष गृहकर की बढ़ौतरी करके गृहकर की वसूली 12.5% की दर से की जाये ताकि वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को पूरी तरह विकास कार्यो में उपयोग किया जा सके। जबकि नगर पंचायत सुन्नी के गृहकर से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010–11 तक 7.5% की दर से गृहकर की वसूली की थी जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत सुन्नी को वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक गृहकर की आय राषि ₹8,79,429 का वित्तीय नुकसान हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

o"kZ	xgdj dh ekx ftruh curh Fkh	xgdj dh ftruh ekx dh	vUrj
2008–09	7,05,395	4,23,237	2,82,158
2009–10	7,77,452	4,66,471	3,10,981
2010–11	7,15,725	4,29,435	2,86,290
	21]98]572	13]19]143	8]79]429

अतः सचिव नगर पंचायत सुन्नी को सुझाव दिया जाता है कि निदेषक, शहरी विकास द्वारा जारी नोटिफिकेषन के आधार पर गृहकर का निर्धारण किया जाए ताकि नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेषन के आधार पर गृहकर का निर्धारण करने बारे भी अपना औचित्य स्पष्ट करें। की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7-3 **uxj ipk;r }kjk vof/k 01-04-2008 l 31-03-11 d Hkhrj cuk; x, Hkouk d xgdj dk fu/kkj.k u djuk %&**

नगर पंचायत सुन्नी ने अवधि 01.04.08 से 31.03.11 तक में नव निर्मित भवनों के लिए निम्नलिखित ब्यौरा अनुसार बिजली के कुनैक्षन तथा पानी के कुनैकषन के अनापति प्रमाण पत्र जारी किए

vof/k	vukifr i=ek.k i= ikuh d dusD'ku	fctyh d dusD'ku
2008—09	13	106
2009—10	8	62
2010—11	3	28

उपरोक्त दिए विवरण के आधार पर जिन भवनों के लिए पानी के कुनैक्षन तथा बिजली के कुनैक्षन हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किए उन भवनों के गृहकर निर्धारण हेतु भवनों की Assessment कर गृहकर का निर्धारण किया जाना था तथा वसूली की जानी थी परन्तु गृहकर से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत सुन्नी के अवधि 01.04.08 से 31.03.11 तक अनापति प्रमाण पत्र जारी किए उतने भवनों का गृहकर निर्धारण नहीं किया गया प्रतीत होता हैं जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को गृहकर से प्राप्त होने वाली आय की हानि हुई। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि वे उन भवनों के गृहकर को अधीरोपित करने हेतु भवनो की Assessment करके गृहकर की वूसली बारे की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Detail of NOC's Issued During the Period from 01-04-2008 to 31-03-2009

Sr.No.	No. of NOC for Electric Connection	No. Of NOC for Water Connection
1	106	13

Detail of NOC's Issued During the Period from 01-04-2009 to 31-03-2010

Sr.No.	No. of NOC for Electric Connection	No. Of NOC for Water Connection
1	62	8

Detail of NOC's Issued During the Period from 01-04-2010 to 31-03-2011

Sr.No.	No. of NOC for Electric Connection	No. Of NOC for Water Connection
1	28	3

8 lMd dh [kqnkbZ gsrq **Telecommunication Department** ls jkf'k ₹1-01 yk[k dh olwyh 'ks"k

नगर पंचायत सुन्नी की सीमा के अन्दर Telecommunication Department ने Optical fiber Cable बिछाने हेतु पत्र संख्याः 1012, दिनांक 21.12.2000 द्वारा अनुमति प्रदान की। सड़क की मुरम्मत हेतु नगर पंचायत ने Telecommunication Department को मीटर सड़क की मुरम्मत के लिए ₹1,95,500 को जमा करवाने हेतु बिल जारी किया। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया

कि Telecommunication Department ने चैक संख्याः 619904, दिनांक 19.03.01 द्वारा राषि ₹94,500 को नगर पंचायत में जमा करवा दियां जबकि नगर पंचायत द्वारा Telecommunication Department को बार–बार लिखने पर आज दिन तक राषि ₹1,01,000 को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं करवाया। अतः नगर पंचायत सुन्नी उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के माध्यम से Telecommunication Department से उठा कर बकाया राषि ₹1,01,000 की वसूली शीघ्र करे तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 31-03-11 rd uxj iapk;r dk nqdkuksa dk fdjk;k jkf'k ₹1-83 yk[k dh olwyh 'ks"k ½&

दुकानों के किराये अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 31.03.11 तक नगर पंचायत में किराये के रूप में राषि ₹1,83,222 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

o"kZ	izkjfEHkd 'ks"k	ekax	dqy	olwyh	NwV	cdk;k
2008–09	1,63,653	2,98,008	4,61,661	3,52,393	1,600	1,07,668
2009–10	1,07,668	3,27,312	4,34,980	3,13,790	–	1,21,190
2010–11	1,21,190	3,61,685	4,82,875	2,99,653	–	1,83,222

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत किराये की वसूली हेतु गम्भीरता से कार्यवाही नहीं कर रही है जिसके फलस्वरूप किराये की बकाया राषि में हर साल बढ़ौतरी होती जा रही है अभिलेखों की जाँच से यह भी पाया गया कि नगर पंचायत किरायेदारों से किराये की वसूली हेतु कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही किरायेदारों के साथ नियमानुसार एग्रीमैन्ट किया है बिना एग्रीमैन्ट किए दुकानों को किराये पर देने तथा किराये की वसूली हेतु किरायेदारों को नोटिस न जारी करने बारे औचित्य स्पष्ट करें। किराये की वसूली हेतु किरायेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें ताकि किराये की अधिक से अधिक वसूली हो सके और नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9-1 नगर पंचायत के किराये सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत ने किरायेदारों से दुकानों की किराये की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई प्रतीत होती। पैरे के साथ बकाया राषि की विवरणीका के अनुसार नगर पंचायत ने सर्व श्री ब्रम्हानन्द, M/s

RLSS wine Co. बंसल लाल, बरजिन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तथा SJVNL से क्रमषः राषि ₹21,186, ₹21,300, ₹37,800, ₹25,650, ₹11,800 तथा ₹20,271 की राषि बनती थी वसूली हेतु 31.03.11 तक बकाया में थी उक्त किरायेदारों से किराये की वसूली हेतु नगर पंचायत ने न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही दुकानदारों से दुकानों पर किराये पर देने पर कोई एग्रीमैन्ट बनाया जिसके अर्न्तगत किरायेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती। जिसके फलस्वरूप किराये की बकाया राषि ₹1,83,222 में से राषि ₹1,38,007 की बकाया राषि की वूसली इन 6 किरायेदारो से ही लेनी शेष में थी। अतः नगर पंचायत ने इस किरायेदारों के विरूद्ध किराये की वूसली हेतु आज तक नियमानुसार कोई भी कार्यवाही न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए और इन किरायेदारों से किराये की बकाया वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही अमल में लायें तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 ekckby Vkojk dh LFkkiuk o uohuhdj.k 'kYd dh jkf'k ₹0-76 yk[k olwyh gsrq 'ks"k ½&

हिमाचल प्रदेष सरकार Information Technology विभाग के पत्र संख्याः DIT-Dev-(IT) 2005(MISC), Dated 22-08-2006 के Annexure “A” के पैरा–2 ‘‘fee structure” के अनुसार शहरी/एस0ए0डी0ए0 क्षेत्र में हर मोबाईल कम्पनी से ₹10,000 स्थापना तथा ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्रति टावर प्रति वर्ष लेने अपेक्षित थे। नगर पंचायत सुन्नी क्षेत्र में बी0एस0एन0एल0 तथा रिलाईंस कम्पनी के टावर स्थापित हैं जबकि नगर पंचायत द्वारा इन कम्पनियों से न तो स्थापना शुल्क और न ही नवीनीकरण शुल्क प्राप्त किया जिसके फलस्वरूप अवधि 31.03.11 तक नगर पंचायत सुन्नी को राषि ₹76,250 का वित्तीय नुकसान हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

Ø0 l0	dEiuh dk uke	Vkojk dh l0	LFkkiuk 'kYd ¼₹½ e	uohuhdj.k 'kYd izfr o"k ¼₹½ e	Vkoj LFkkfir djus dh frfFk	31-03-11 rd fteus o"k cus	dqy jkf'k ¼LFkkiuk 'kYd $ uohuhdj.k 'kYd½	olwyh cdk;k
1	**BSNL**	1	10]000	5]000	11@05	6	**5000x5=25000** **5000x25/100=6250** **+ 5000** **10,000** **41,250**	41]250
2	**Relince**	1	10000	5000	06@06	5	**5000x5=25000** **10000** **35000**	35000
							Total	76250

सरकार द्वारा जारी निर्देषों के अर्न्तगत मोबाईल कम्पनियों से टावर स्थापना शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राषि ₹76,250 की वसूली हेतु मामला मोबाईल कम्पनियों से उठाया जाए और राषि ₹76,250 की वसूली शीघ्र करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 fc t yh 'kYd %&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0(डी)(1)–9/94, दिनांक 28.08.2000 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 01.10.2000 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायत जहां बिजली की खपत हुई है को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत सुन्नी को विद्युत बोर्ड से निम्नलिखित शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं :–

Øe l[;k	pSd dk fooj.k	pSd dh jkf'k	'kYd dh vof/k
1	7677268, दिनांक 27.10.08	33,136	27.10.08
2	8369789, दिनांक 30.09.10	55,666	11.10.10

उपरोक्त दो चैक से प्राप्त विद्युत शुलक की राषि किस अवधि के लिए नगर पंचायत से प्राप्त हुई का अभिलेख में स्पष्ट नहीं था क्योंकि नगर पंचायत द्वारा विद्युत शुल्क प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो कि शुल्क की राषि किस अवधि से सम्बन्धित थी। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2009–10 में कोई भी राषि विद्युत शुल्क के रूप में प्राप्त नहीं हुई है और न ही नगर पंचायत ने विद्युत विभाग से ऐसा कोई पत्राचार किया। अतः पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि विद्युत शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों को तैयार करें तथा विद्युत शुल्क से प्राप्त आय का पूर्ण ब्यौरा विद्युत विभाग से प्राप्त करके उसकी प्रविष्टि सम्बन्धित अभिलेख में करें तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 jgu cljk ls ikIr vk; %&

निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्याः UD-NSDP/EIVS-H-F(1)-1/02-IX-7593-7641, dated 30-06-08 जोकि आयुक्त नगर निगम षिमला के अतिरिक्त सभी नगर परिषदों, नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों एवं सचिवों को सम्बोधित था के अर्न्तगत सभी स्थानीय निकायों को operational guidelines for rehan Basera building अग्रेषित किए गए थे जिसके अनुसार रैहन बसेरा भवनों/कम्पलैक्स से सम्बन्धित आय व व्यय के पृथक रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना था। उक्त पत्र नगर पंचायत को डायरी संख्याः 123, दिनांक 03.07.08 द्वारा प्राप्त हुआ था। परन्तु अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत ने निदेषक, शहरी विकास द्वारा अग्रेषित operational guidelines for Rehan Basera Building के अर्न्तगत दिए निर्देषों के अनुसार आय व व्यय का ब्यौरा पृथक रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं था। अतः अपेक्षित कार्यवाही न करने बारे अपना

औचित्य स्पष्ट करें जबकि इस बारे पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह आपत्ति पहले भी उठाई गई थी। अतः सम्बन्धित अभिलेखों को तैयार करके, सत्यापन आगामी अंकेक्षण से करवाया जाना सुनिष्चित करें।

12-1 निदेषक, शहरी विकास के उपरोक्त पत्र के अनुसार रैहन बसेरा भवन/कम्पलैक्स से सम्बन्धित आय व व्यय का लेखा प्रतिमाह उनके कार्यालय को प्रत्येक माह की पांच तारीख से पहले प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। परन्तु नगर पंचायत सुन्नी ने आज तक (अंकेक्षण की अन्तिम तिथि तक) हर माह का अपेक्षित लेखा शहरी विकास निदेषालय को प्रेषित नहीं किया था जोकि उपरोक्त आदेषों/निर्देषों की अवहेलना है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12-2 नगर पंचायत सुन्नी के रैहन बसेरा भवन/कम्पलैक्स पर कुल मिलाकर राषि ₹18,49,462 व्यय किए गए थे तथा रैहन बसेरा अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ। किया गया है जिससे अब तक कुल राषि ₹32,390 अवधि 31.03.08 तक तथा अंकेक्षण अवधि 01.04.08 से 31.03.11 तक जो आय प्राप्त उसका विवरण निम्नप्रकार से है :–

Øe l[;k	vof/k	o"kZ dk nkjku izkIr vk; dk fooj.k
1	2008–09	₹3,800.00
2	2009–10	₹16,400.00
3	2010–11	₹17,200.00
rhu o"kkZ esa izkIr vk;		₹37]400-00

अतः अवधि 31.03.11 तक रैहन बसेरा से कुल राषि ₹69,790 प्राप्त हुए हैं जबकि निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष द्वारा अग्रेषित किए operational charges/maintenance charges and up keep का सारा खर्चा रैहन बसेरा से प्राप्त होने वाली आय से वहन किया जाना था। अतः उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि नगर पंचायत सुन्नी अपने रैहन बसेरा को self supporting बनाने में पूर्ण विफल रहा है प्राप्त आय के आंकडे इतने कम हैं कि इनसे रैहन बसेरा के Operational Charges जैसे कि रैहन बसेरा में तैनात कर्मचारियों का वेतन, पानी व बिजली व रख–रखाव पर होने वाले व्यय ही पूरा नहीं हो रहा है। अतः सचिव, नगर पंचायत द्वारा उक्त भवन का नियन्त्रक अधिकारी होने के नाते रैहन बसेरा से इतनी आय जरूर प्राप्त हो सके ताकि रैहन बसेरा को बनाने पर होने वाले व्यय को वहन किया जा सके। अतः सचिव, नगर पंचायत ऐसा पग

आवष्यक उठायें कि रैहन बसेरा से प्राप्त होने वाली इतनी जरूर हो ताकि रैहन बसेरा को बनाने पर होने वाले व्यय का वहन हो सके।

13 0;;

LFkkiuk

Jh uj'k dekj] dfu"B vfHk;Urk ¼**Contract Basis**½ d osru ls lh0ih0,Q0 dh vukf/kdr <x ls dVkrh djds jkf'k ₹70]000 dk lh0ih0,Q0 [kkrs esa tek fd;k tkuk ½&

हिमाचल प्रदेष सरकार के द्वारा (Contract Basis) पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुसार इन कार्मचारियों को सी0पी0एफ0 की सुविधा देय नहीं है लेकिन श्री नरेष, कुमार, कनिष्ट अभियन्त (Contract Basis) के वेतन की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत उक्त कर्मचारी के वेतन से ₹2500 प्रतिमाह की दर से अंषदान भविष्य निधि की कटौती करके वेतन का भुगतान कर रहा है जोकि अनियमित था। नगर पंचायत सुन्नी ने किन आदेषों के अर्न्तगत श्री नरेष कुमार, कनिष्ट अभियन्ता (Contract Basis) के वेतन से माह 07/08 से 05/10 तक राषि ₹70,000 (2500 x 12 + 5000 x 5) की कटौती अंषदायी भविष्य निधि में की है स्पष्ट करें तथा इस अनियमित कटौती को शीघ्र बन्द किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

14 Vkbi VLV mRrh.k fd, fcuk fyfid dk okf"kd osru of) dk ykHk nsus ij jkf'k ₹0-08 yk[k dk vf/kd Hkqxrku ½&

श्री हिमेष पाल सपुत्र श्री दीप राम पाल, को नगर पंचायत सुन्नी में लिपिक के पद पर कार्यालय आदेष संख्याः न0प0 सुन्नी(लिपिक)2000–772 से 775, दिनांक 12.09.2000 को 89 दिनों के लिए ₹2000 प्रति माह के आधार पर नियुक्ति दी गई थी जिसकी बढ़ौतरी निदेषालय, शहरी विकास से स्वीकृति प्राप्त करके दी जाती रही। निदेषालय, शहरी विकास के आदेष संख्याः यू0डी0–एच(वी)(15)–1/2006–I, दिनांक 08.12.2009 द्वारा श्री हिमेष कुमार पाल को लिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करने के लिए नगर पंचायत सुन्नी को अनुमति प्रदान कर दी। नगर पंचायत सुन्नी ने कार्यालय आदेष संख्याः N.P. Sunni/2009-736-738, दिनांक 08.12.2009 को अनिवार्य शर्तों के बिना नियुक्ति आदेष जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेष सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्याः Fin(PR)13(7)51/98, दिनांक 27.03.2002 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाती है तो उसे Typing Test उतीर्ण करना अनिवार्य है और टाईपिंग टैस्ट

उर्तीण करने के उपरान्त ही कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ देय होगा। जबकि नगर पंचायत द्वारा उक्त कर्मचारी को नियुक्ति की तिथि के एक वर्ष पश्चात टाईपिंग टैस्ट उर्तीण किए बिना वार्षिक वेतन वृद्धि का आर्थिक लाभ स्वीकृत किया गया। फलस्वरूप टाईप टैस्ट उर्तीण किए बिना नगर पंचायत द्वारा श्री हिमेष पाल, लिपिक को वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ दिया गया है। फलस्वरूप कर्मचारी को दिनांक 30.04.12 तक राषि ₹8,285 का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए। अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

Jh fge’k iky] fyfid dk Vkbi VLV mrh.k fd, fcuk okf"kd oru of) d rgr vfu;fer@vf/kd Hkxrku %&

period	Pay Band	Grade Pay	Total	D.A	Total	Pay Band	Grade pay	Total	D.A	Total	Excess Pay
01-12-10 to 31-12-10	6230	1900	8130	3659	11789	5990	1900	7890	3551	11441	348
01-01-11 to 30-06-11	6230	1900	8130	4146	12276	5990	1900	7890	4024	11914	2172
01-07-11 to 30-11-11	6230	1900	8130	4715	12845	5990	1900	7890	4576	12466	1895
01-12-11 to 31-12-11	6480	1900	8380	4860	13240	5990	1900	7890	4576	12466	774
01-01-12 to 30-04-12	6480	1900	8380	4860	13240	5990	1900	7890	4576	12466	3096
										Total	**₹8,285**

15 ¼1½ okÅpj l[;k 56] fnukd 10-06-10] jkf’k ₹81]611

¼2½ okÅpj l[;k 57] fnukd 10-06-10] jkf’k ₹83]046

कार्य का नाम	C/o Shopping Complex near Hospital Road at Sunni (Phase –I and II)
एजैन्सी का नाम	श्री हुक्म चन्द
	C/o Shopping Complex at Phase-I

श्री विपन शर्मा

C/o Shopping Complex at Phase-II

माप पुस्तिका संख्याः 8 पृष्ट–57 से 61

बिल संख्याः प्रथम चलत बिल

नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्याः 1, दिनांक 28.02.2009 द्वारा वार्ड नम्बर 5 में सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र के सामने शापिंग कम्पलैक्स का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके अनुसार नगर पंचायत सुन्नी ने उक्त निर्माण कार्य के दो अनुमान पत्र तैयार करके निदेषालय, शहरी विकास से उनके पत्र संख्याः UD-(H)(F)Sunni Eng cell-12/100, दिनांक 05.11.09 द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत करवाए गए।

(1) C/o Shopping Complex in Ward No. 5, opposite CHC at Sunni (Phase-I) ₹3,77,967

(2) C/o Shopping Complex in Ward No. 5, opposite to CHC at Sunni (Phase-II) ₹4,34,981

उपरोक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

नगर पंचायत ने उक्त निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पत्र संख्याः UD-H(F)Sunni Eng cell-12/100, दिनांक 05.11.09 द्वारा प्राप्त की परन्तु इसकी प्रषासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की बिना प्रषासनिक स्वीकृति के इस निर्माण पर होने वाले व्यय राषि ₹1,22,781 + ₹1,45,549 को नियमित नहीं माना जा सकता। अतः निर्माण कार्यों की प्रषासनिक स्वीकृति अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखायी जानी सुनिष्चित की जाए।

15-1 उक्त निर्माण कार्यों के टैण्डरों एवं Awards letter की जाँच करने पर पाया गया कि item no. 3(d) “Providing form work with steel plates 3.15 mm thick welded with angle iron in frame 30 x 30 x 5 mm so as to give a fair finish including centering, shuttering, strutting and popping etc.” “Flat Surfaces such as soffits of suspended floors, roofs, handings and the like. Flours etc . upto 200 mm in thickeness.” का आबंटन ठेकेदार द्वारा Negotiation दर से अधिक दर पर किया जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को आबंटन पत्र में ही राषि ₹652 का अधिक राषि का अनुचित लाभ दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

vkbVe uEcj	ek=k	nj tks yxkbZ xbZ	jkf'k	tks nj yxkbZ tkuh Fkh	jkf'k	vf/kd jkf'k
3(D)	65.21 sq.	170/-	11086	160	10433.60	652.40

अतः आबंटन पत्र में ठेकेदार को अधिक दर लगाकर आबंटन पत्र जारी करने बारे अपना औचित्य स्पष्ट करें तथा संविदाकार को Corrigan-deem के माध्यम से आबंटन पत्र में दरों को संषोधित कर आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिष्चित करें।

15-2 नगर पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्यों पर आज तक राषि ₹2,68,325 व्यय की गई जोकि ठेकेदारों द्वारा उक्त निर्माण कार्य के प्रथम बिल तक किए गए निर्माण कार्य तक खर्च है उक्त दोनों निर्माण कार्य नगर पंचायत ने आबंटन पत्र संख्याः N.P/works/09-177-81, दिनांक 22.03.10 तथा संख्याः N.P/works/09-181-86, दिनांक 22.03.10 आबंटित किए थे तथा जिसमें आबंटन पत्र जारी करने के 15 दिनों के बाद 3 महीने का समय उक्त निर्माण कार्यों को पूरा करने का दिया गया आबंटन पत्र की शर्त 4 के अनुसार यदि ठेकेदार निर्माण कार्य को समयावधि में पूरा नहीं करते तो awards letter में दिए आबंटित राषि के उपर 1% प्रति दिन और अधिकतम 10% की दर से agreement clause-2 के अर्न्तगत जुर्माना लगाया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों से यह पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा प्रथम चलत बिल के भुगतान के बाद निर्माण कार्य किया ही नहीं जबकि आबंटन पत्र की तिथि के अनुसार C/o Shopping Complex Ph-I and Ph-II का निर्माण कार्य दिनांक 04.07.10 तक पूरा हो जाना चाहिए था जबकि निर्माण कार्य अप्रै्ल, 12 तक भी पूर्ण नहीं किया गया सम्बन्धित निर्माण को ठेकेदारों द्वारा पूरा न करने पर आबंटित पत्र (Award Letter) की शर्त 4 तथा agreement clause-2 के अनुसार आबंटित राषि ₹3,95,947 for C/o Shopping complex Ph-I and ₹4,57,065 for C/o Shopping complex Ph-II का 10% ₹39,595 and ₹45,707 का जुर्माना Panality लगाई जानी थी। जबकि नगर पंचायत सुन्नी ने न तो आबंटित समय के अन्दर कोई नोटिस ठेकेदारों को जारी किए और न ही आज तक 10% Penalty impose की। अतः नगर पंचायत द्वारा ठेकेदारों पर निर्माण कार्यों को समय अवधि में पूरा न करने के मध्यनजर award letter की शर्त 4 तथा Agreement Clause-2 के अर्न्तगत कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा अब ठेकेदारों के उपर Award Letter की शर्त 4 तथा Agreement Clause-II के अर्न्तगत कार्यवाही करके अपेक्षित दण्ड की राषि की वसूली करें।

15-3 dk;l dk **structul Drawing and design**½ dh l{ke vf/kdkjh dh Lohd`fr fcuk fuekZ.k dk;l djokuk ¼&

नगर पंचायत सुन्नी ने C/o at Shopping Complex Phase-I and Phase-II के निर्माण कार्य को करवाने से पूर्व उक्त निर्माण कार्य की Structual Drawing & Design को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाया गया। अतः उक्त स्वीकृति के बिना के निर्माण का निष्पादन करवाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बिना Structual Design के निर्माण कार्य का निष्पादन करवाने को अपना औचित्य स्पष्ट करें तथा C/o Shopping Complex Phase-I & Phase-II का अब Structual Design तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

16 okÅpj l[;k 227] fnukd 02-03-10] jkf'k ₹23]070

निर्माण कार्य का नाम	Repair and M/o Path from Boys Hostel to PWD Rest house in Ward No.-1 at Suni R.D. 50 om to 145 om
Agency	विभागीय तौर पर
मस्ट्रोल संख्या	219
अवधि	04.02.2010 से 25.02.10

उक्त निर्माण कार्य के लिए नगर पंचायत सुन्नी ने राषि ₹63,018 का अनुमान पत्र बनाया तथा जिसकी तकनीकी एवं प्रषासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त उक्त निर्माण कार्य को करवाने के टैण्डर आमन्त्रित किए जिसके अर्न्तगत नगर पंचायत चार संविदाकारों के टैण्डर प्राप्त हुए तथा नगर पंचायत ने Award Letter No. N.P/works/07-249-253, Dated 05-06-07 द्वारा न्यूनतम दर वाले संविदाकार को Negotiation उपरान्त HPSR, 1999 में दी दर के उपर 41% में आबंटित कर दिया। उक्त निर्माण कार्य के अर्न्तगत केवल एक मद "CC flooring 1:2:4 1 Cement, 2 Sand, 4 aggregate 20mm nominal size laid in one layer of neat Cement 50 mm thick ही निष्पादित करनी थी अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया श्री खुषी राम संविदाकार को Award Letter No. 249-253, dated 08-06-07 द्वारा जो निर्माण कार्य आबंटित किया गया था को नहीं किया जिसकी रिपोर्ट सम्बन्धित कनिष्ट अभियन्ता द्वारा दिनांक 29.07.08 को नगर पंचायत को दी। संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य न करने को उपरान्त नगर पंचायत ने उक्त निर्माण कार्य विभागीय तौर पर स्वयं करवाया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

संविदाकार द्वारा उक्त निर्माण कार्य का निष्पादन न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत ने संविदाकार के विरूद्ध Aggrement में दी शर्तों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की की रिपोर्ट सम्बन्धित नस्ति में संलग्न नहीं थी जबकि नियमानुसार संविदाकार द्वारा नगर पंचायत में जमा धरोहर राषि Earnest money जब्त की जानी थी। संविदाकार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही न करने बारे नगर पंचायत अपना औचित्य स्पष्ट करे तथा नियमानुसार कार्यवाही के साथ आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16-1 उक्त कार्य के लिए तकनीकी एवं प्रषासनिक तौर पर स्वीकृत अनुमान पत्र के अनुसार केवल एक ही मद “CC flooring 1:2:4 (I Cement 2 Sand 4 graded stone aggregate of normal size) laid in one layer of neat Cement 50 mm thick निष्पादित की जानी थी जबकि नगर पंचायत ने उक्त निर्माण कार्य में उक्त मद के साथ बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के एक अतिरिक्त मद “15 mm thick cement concrete topping 1:2 to 3 (1 Cement : 2 to 3 stone aggregate of size 4.75 mm and below by volume) laid once and finished monolithic with structasal slab का निष्पादन किया जोकि अनियमित था। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना मद पर राषि ₹9011 का व्यय अनियमित था इस राषि का विवरण निम्न प्रकार है।

en	ek=k	nj	jkf’k
15 mm thick cc topping 1:2 to 3 (1 Cement 2 to 3 stone aggregate of size 4.75 mm and below by volume) laid over and finished monolithic and structural slab.	240.50 m^2	19.30 per cum^3	4642
			4642
Less 10% C.P.			464.20
			4177.80
Add 115.69% labour enhancement			4833.30
			9011.10

अतः इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य में राषि ₹9011 (₹23765 – 14754) की प्रगति अतिरिक्त मद के निष्पादन करके मस्ट्रोल का भुगतान किया गया जोकि अनियमित था। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राषि को नियमित करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाए।

16-2 उक्त मद के निष्पादन पर 48.10 बोरी सीमेन्ट तथा 4.81 मी^{3} रेत का उपयोग किया गया जिसका कुल मुल्य राषि ₹11,534 (48.10 x 180 + 4.81 m^3 x 598) बनता है। अतः उपरोक्त कार्य में बिना स्वीकृति के निष्पादित अतिरिक्त मद पर राषि ₹20,545 का जो खर्च किया गया वह अनियमित था। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त कार्य पर किए अनियमित खर्च राषि ₹20,545 की वसूली सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

16-3 <u>fuek.k dk;k e mi;kx gku okyh lkexh dh vkifr e jkf'k ₹0-09 yk[k dk vf/kd Hkxrku</u> ¼&

नगर पंचायत सुन्नी द्वारा विभागीय तौर पर निष्पादित करवाये गए निर्माण कार्यों के लिए रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति कोटेषन के आधार पर की गई। नगर पंचायत ने वर्ष 2009–10 के लिए मैसर्ज मदन लाल शांडिल को निम्नलिखित दरों पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेष जारी किए।

lkexh dk C;kjk	ek=k	nj ¼₹½ e
रेत	प्रति घन मीटर	598
बजरी 40 एम0एम0	प्रति घन मीटर	820
बजरी 20 एम0एम0	प्रति घन मीटर	850
बजरी 10 एम0एम0	प्रति घन मीटर	890
आर/आर पत्थर	प्रति घन मीटर	495
Stone Soling	प्रति घन मीटर	445
Band Stone	प्रति घन मीटर	14.75

अभिलेख की जाँच करने पर पाया कि माह 03/10 के दौरान जो निर्माण सामग्री की आपूर्ति की गई थी वह उक्त निर्धारित दरो ंपर न होकर अधिक दरों पर संविदाकार द्वारा की गई जिसके फलस्वरूप फर्म को राषि ₹8,868 का अधिक भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया :–

ok0 l0@ fnukd	fcy l0	lkexh dk C;kjk	ek=k	ftl nj ij vkifrZ dh	ftl nj ij dh tkuh Fkh	vUrj	vf/kd Hkxrku
230 14.03.10	10 10.03.10	रेत	8.29 m^3	700	598	102	846
		बजरी 40mm	11.56m^3	850	820	30	348.80
		बजरी 20mm	4.24 m^3	1100	850	250	1080
		पत्थर	6.33 m^3	600	495	105	664.65
249 31.03.10	15 25.03.10	रेत	6.82 m^3	700	598	102	695.64
		बजरी 40mm	2.87 m^3	850	`820	30	86.10
		बजरी 20mm	6.64 m^3	1100	850	250	1660
		बजरी 10mm	1.83 m^3	1050	890	160	292.80
257 31.03.10	18 30.03.10	रेत	7.80 m^3	700	598	102	795.60
		बजरी 40mm	10.88 m^3	850	820	30	326.40
		बजरी 20mm	3.99 m^3	1100	850	250	997.50
		पत्थर	10.42 m^3	600	495	105	1094.10
					dy vf/kd Hkxrku		**8867.59**

अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹8868 की वसूली सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता से करके नगर पंचायत कोष में जमा की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16-4 lkexh d fcyk d Hkxrkuk l jkf'k ₹0-09 yk[k dk vf/kd Hkxrku djuk %&

नगर पंचायत सुन्नी के निर्माण कार्यों को विभागीय स्तर पर निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति न्यूनतम दर पर श्री मदन लाल शांडिल से प्राप्त की। उक्त निर्माण सामग्री की आपूर्ति बिलों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि आपूर्ति की गई

सामग्री की मात्रा में voids को पहले जमा किया गया तथा बाद में voids की मात्रा मो घटा कर शेष मात्रा का भुगतान किया गया। नियामानुसार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा भुगतान के लिए नगर पंचायत में दिए बिलों में दर्षायी सामग्री की मात्रा से Voids काटकर जो Net Quantity बनती थी उस आधार पर बिल का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार आपूर्तिकर्त्ता को राषि ₹8572 का अनुचित/अधिक भुगतान किया गया। इस राषि का विवरण निम्न प्रकार है। अतः राषि की वसूली सम्बन्धित से करना सुनिष्चित करें।

okÅpj l0@fnukd	Qe@lIyk;j dk uke	lkexh dk C;kjk		nj	jkf'k	**Voids** dkVus ds ckn ek=k	jkf'k	vf/kd@vufpr Hkxrku
		lkexh dk uke	ek=k					
249/31.03.10	श्री मदन लाल शांडिल	Sand	6.82 m^3	700	4774	6.48 m^3	4536	238
	बिल सं0 15/25.03.10	Aggregate 40 mm	2.87 m^3	850	2440	2.64 m^3	2244	196
		Aggregate 20mm	6.64 m^3	1100	7304	6.11 m^3	6721	583
		Aggregate 10mm	1.83 m^3	1050	1922	1.68 m^3	1764	158
					16440		15265	1175
257/31.03.10	श्री मदन लाल शांडिल	Sand	7.80 m^3	700	5460	7.41 m^3	5187	273
	बिल सं0 18/25.03.10	Aggregate 40 mm	10.88 m^3	850	9248	10.01 m^3	8508	740
		Aggregate 20mm	3.99 m^3	1100	4389	3.67 m^3	4037	352
		Stone	10.42 m^3	600	6252	8.75 m^3	5250	1002
					25349		**22982**	2367
250/31.03.10	श्री मदन लाल शांडिल	Sand	6.62 m^3	700	4634	6.29 m^3	4403	231
	बिल सं0 13/01.03.10	Aggregate 40 mm	2.92 m^3	850	2482	2.69 m^3	2287	195
		Aggregate 20mm	6.27 m^3	1100	6897	5.77 m^3	6347	550
		Aggregate 10mm	1.70 m^3	1050	1785	1.56 m^3	1638	147
					15798		**14675**	1123
228/02.03.10	श्री मदन लाल शांडिल	Course Sand	10.12 m^3	598	6052	9.61 m^3	5747	305
	बिल सं0 005/4.02.10	Aggregate 10 mm	2.67 m^3	890	2376	2.46 m^3	2189	187

		Aggregate 20mm	8.03 m^3	850	6825	7.39 m^3	6282	543
					15253		**14218**	1035
230/19.03.10	श्री मदन लाल शांडिल	Sand	8.29 m^3	700	5803	7.88 m^3	5516	287
	बिल सं0 10/10.03.10	Aggregate 40 mm	11.56 m^3	850	9826	10.64 m^3	9044	782
		Aggregate 20mm	4.24 m^3	1100	4664	3.90 m^3	4290	374
		Stone	6.33 m^3	600	3798	5.32 m^3	3192	606
					24091		**22042**	2049
231/02.03.10	श्री मदन लाल शांडिल	Stone	8.42 m^3	495	4168	7.07 m^3	3499	669
	बिल सं0 7/02.03.10	Sand	3.20 m^3	598	1914	3.04 m^3	1818	96
		Aggregate 40 mm	0.31 m^3	820	254	0.29 m^3	238	16
		Aggregate 20mm	0.52 m^3	850	442	0.48 m^3	408	34
		Aggregate 10mm	0.13 m^3	890	115	0.12 m^3	107	8
					6893		**6070**	823
					lEHkkfor vf/kd Hkqxrku jkf'k			₹8572

17 fVIij dh [kjhn esa jkf'k ₹1014 dk vf/kd Hkqxrku

okÅpj la[;k 232] fnukad 20-03-10] jkf'k ₹6]94]884

इस वाऊचर द्वारा राषि ₹6,94,884 का भुगतान M/S Sikand & Company Solan को LPK 407/Tipper वाहन खरीदने के लिए किया। भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला ने पत्र संख्या ULB-H(E)-19/86-17097-117, dated 01-01-10 द्वारा राषि ₹5.50 लाख नगर पंचायत सुन्नी को Hydroulic Tipper की खरीद के लिए दिए। खरीद के लिए Deputy Commissioner की अध्यक्षत में कमेटी बनाई गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि Hydroulic Tipper की खरीद Sikand & Co. (Tata Motors) Chambaghat, Solan से की जाए। अतः Hydroulic Tipper की खरीद के लिए Sikand & Co. Solan से invoice प्राप्त किया गया जिसके अनुसार Hydroulic Tipper का मुल्य राषि ₹7,43,870 बताई गई invoice की फोटो प्रति साथ संलग्न है।

इसके अतिरिक्त राषि ₹50,000 का advance (अग्रिम भुगतान) M/s sakind & Co. (Tata Motors) को बैंक ड्राफ्ट संख्याः 2113157, दिनांक 20.01.10 द्वारा कर दिया गया तथा बकाया भुगतान राषि ₹6,94,884 बैंक ड्राफ्ट संख्याः 211363, दिनांक 20.03.10 को किया गया जिसके अनुसार Sikand & Co. Chambaghat, Solan को वाहन की खरीद के लिए कुल राषि ₹7,44,884 (₹50,000 + ₹6,94,884) का भुगतान किया। जबकि Performa invoice में दी दरों के अनुसार Sikand & Co. को राषि ₹7,43,870 का भुगतान किया जाना था इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा राषि ₹1014 के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित फर्म से करके नगर पंचायत निधि में जमा करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 okÅpj l[;k 173] fnukd 23-12-08] jkf'k ₹16]500

उक्त वाऊचर द्वारा राषि ₹16,500 का भुगतान मैंसर्ज वर्मा बैल्डिंग वर्कस, ढली, षिमला को बावत पांच नम्बर Wheel bassoon की खरीद के लिए किया। उक्त खरीद से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गई।

पांच नम्बर Wheel bassoon की खरीद के लिए नगर पंचायत सुन्नी ने पत्र संख्याः N.P. Sunni/2008-328-330, Dated 29-09-2008 को ज्ञापन द्वारा कोटेषन आमन्त्रित की। जिसके तहत तीन फर्मों की कोटेषन प्राप्त हुई और न्यूनतम दर वाली फर्म मैसर्ज वर्मा बैल्डिंग वर्कस, ढली षिमला को आदेष संख्याः 470, दिनांक 10.12.2008 द्वारा आपूर्ति करने को कहा/Wheel bearing की Specification का ब्यौरा निम्न था "Hand Driver (0.15mm net capacity) manufactured Ms sheet BG welded on a frame wing ms sheet 18 BG melded on frame of 15ms angle 35 x 35 x 6mm handles of Ms tabe 32mm nominal diameter, rear legs of 15ms flat 20 x 5mm and with 2 nos wheel on front legs".

उपरोक्त वील बैरो की सप्लाई में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(1) हिमाचल प्रदेष म्युिनिसीपल कोड, 1975 की धारा 175(4) के अनुसार राषि ₹500 से उपर की खरीद कोटेषन आमन्त्रित न करके निविदाएं आमन्त्रित करके की जानी थी अतः हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल कोड 1975 की धाराओं का उल्लंधन करने बारे अपना औचित्य आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

(2) फर्म ने Wheel Barrow की आपूर्ति पर दिए बिल में केवल 5 No wheel barrow दर्षाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जबकि बिल पर Wheel barrow के साथ Specification का विवरण दिया जाना अनिवार्य था ताकि यह सुनिष्चित हो सकता की वील बैरो की जो फर्म ने आपूर्ति की है वह Specification के अनुसार थी। नगर पंचायत के जिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वील बैरो प्राप्त किए द्वारा भी बिल पर भुगतान से पूर्व यह भी प्रमाणित नहीं किया कि वील बैरो स्पैसिफिकेषन के आधार पर ही प्राप्त हुए। अतः बिना स्पैसिफिकेषन के आधार पर वील बैरो की प्राप्ति तथा बिना प्रमाण पत्र के बिल का भुगतान करने बारे अपना औचित्य आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें

(3) उक्त वील बैरो की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की गई जबकि इसकी प्रविष्टि Movable प्रोपर्टी रजिस्टर में की जानी अनिवार्य थी। अतः वील बैरो की प्रविष्टि Movable प्रोपर्टी रजिस्टर में करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करें।

19 <u>y?kq vkifr foojf.kdk</u> %& लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

20 <u>fu"d"kZ</u> %& लेखाओं में लगातार सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(v)91/81–खण्ड–V, दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

(1) निदेषक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002

i`thd`r %& (2) सचिव, नगर पंचायत सुन्नी, जिला षिमला, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर, प्रतिवेदन जारी हाने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

¼vuwi dqekj ?kk:½

lUnfHkZr ijk l[;k&1

uxj ipk;r lUuh d y[kk vof/k 01-04-08 l 31-03-11 rd dk y[kk ijh{k.k 'kYd

vof/k	fnuk dh l[;k	vd{k.k 'kYd ifrfnu	jkf'k ¼₹½ e
03.02.12 से 04.02.12	2	600	1200
06.02.12	1	600	600
08.02.12	1	600	600
02.03.12 से 03.03.12	2	600	1200
05.03.12 से 07.03.12	3	600	1800
12.03.12 से 15.03.12	4	600	2400
19.03.12 से 24.03.12	6	600	3600
26.03.12 से 27.03.12	2	600	1200
30.03.12	1	600	600
02.04.12 से 03.04.12	2	600	1200
dy ;kx	24	600	14]400

Hkkx&rhu

¼d½ vkd{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 06@84 ls 03@90

Øe l[;k	iSjk l[;k	fLFkfr	fVIi.kh
1	पैरा 4(ख) तथा (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(1 व 2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	अनिर्णीत	
5	पैरा 8(क,ख,ग तथा घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 9(1)(क,ख तथा ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा 9(2)(क,ख,ग,घ,ङ तथा च)	अनिर्णीत	
8	पैरा 9(2)(ज)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9(3)(ख,ग,घ,ङ,च,छ तथा ज)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9(4)(क तथा ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9(5)(क,ख,ग,घ,ङ,च,छ तथा ज)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10(2)(क,ख,ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा 10(2)(घ)	आंषिक निर्णीत	
15	पैरा 12	अनिर्णीत	
16	पैरा 13(क,ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा 15	अनिर्णीत	

¼[k½ vkdk{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@90 ls 03@95

Øe la[;k	iSjk la[;k	fLFkfr	fVIi.kh
1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(क,ख,ग,घ,ङ,च तथा छ)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	अनिर्णीत	
5	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 9(क तथा ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10(क तथा ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 11	अनिर्णीत	
9	पैरा 12(क,ख तथा ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 13(i)	अनिर्णीत	
11	पैरा 13(ii)(1,2,3 तथा 4)	अनिर्णीत	
12	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 13(iv, v, vi, ix, xi तथा xii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 14(i)(क तथा ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 14(i)(ग तथा घ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 14(ii)(क,ख,ग तथा घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 16	अनिर्णीत	
18	पैरा 17	अनिर्णीत	
19	पैरा 18(ख,ग,घ,च तथा छ)	अनिर्णीत	

(ग) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/2000</u>

क्रम संख्या	पैरा संख्या	स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(क)(1,2,3,4,5)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(क,ख,ग,घ,ङ,च,छ,ज तथा झ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5(ट,ठ,ड,ढ़)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7(1)(ए)(क तथा ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 7(2)(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
11	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
12	पैरा 7(5)(1)(ii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 8(1)(1)(ii, iii, iv)	अनिर्णीत	
14	पैरा 8(1)(vi, vii तथा viii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 8(2)(1)(ii, iii, iv)	अनिर्णीत	
16	पैरा 8(2)(iv, vi, vii, viii व ix)	अनिर्णीत	
17	पैरा 8(3)(1,2,3)	अनिर्णीत	
18	पैरा 8(3)(5, 6 तथा 7)	अनिर्णीत	
19	पैरा 8(4)(1, 3, 4 तथा 5)	अनिर्णीत	
20	पैरा 8(5)(I, ii, iii, iv, vi, vii, viii, ix)	अनिर्णीत	
21	पैरा 8(6)(I, ii, iv, v तथा vi)	अनिर्णीत	

22	पैरा 8(7)(i, ii, iv तथा v)	अनिर्णीत
23	पैरा 8(8)(1,2,3 तथा 5)	अनिर्णीत
24	पैरा 8(9)(i, iii, iv तथा v)	अनिर्णीत
25	पैरा 8(10)(i, iii, iv तथा v)	अनिर्णीत
26	पैरा 8(11)(i, ii, iii, iv तथा vi)	अनिर्णीत
27	पैरा 8(12)(i, ii, iv तथा v)	अनिर्णीत
28	पैरा 8(13)(i, ii, iii तथा iv)	अनिर्णीत
29	पैरा 8(14)(i, ii, iii, v, vi तथा vii)	अनिर्णीत
30	पैरा 8(15)(i, ii, iv तथा v)	अनिर्णीत
31	पैरा 8(16)(i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv)	अनिर्णीत
32	पैरा 8(17)(i, से vii)	अनिर्णीत
33	पैरा 8(18)(i, से vi)	अनिर्णीत
34	पैरा 8(19)(i, से vi)	अनिर्णीत
35	पैरा 8(20)(i, से ix)	अनिर्णीत
36	पैरा 8(21)(i, से x)	अनिर्णीत
37	पैरा 8(22)(i, से x)	अनिर्णीत
38	पैरा 8(23)(i, से v)	अनिर्णीत
39	पैरा 8(24)(i, से iv)	अनिर्णीत
40	पैरा 8(24)(i,से v)	अनिर्णीत
41	पैरा 8(25)	अनिर्णीत
42	पैरा 9(क,ख)	अनिर्णीत
43	पैरा 10(क)(1)	आंषिक निर्णीत
44	पैरा 10(ग)(ii)	अनिर्णीत

45	पैरा 11(क,ख,ग,घ,ङ)	अनिर्णीत
46	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
47	पैरा 13(क,ख)	अनिर्णीत
48	पैरा 14(क,ख)	अनिर्णीत
49	पैरा 15	अनिर्णीत
50	पैरा 16(क,ख,ग)(i,ii, iii, iv)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(1,2,3,4)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(i, iv, v)	अनिर्णीत
53	पैरा 19	अनिर्णीत
54	पैरा 20	अनिर्णीत
55	पैरा 21	अनिर्णीत
56	पैरा 22	अनिर्णीत
57	पैरा 23(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)	अनिर्णीत
58	पैरा 23(12,13,14,15,16,17,18)	अनिर्णीत
59	पैरा 23(20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32)	अनिर्णीत

¼?k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@2000 l 03@2005

Øe l[;k	iSjk l[;k	fLFkfr	fVIi.kh
1	पैरा 5(क,ख,ग,घ,ङ)	निर्णीत	(उपयोगिता पत्रों की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
2	पैरा 5(च)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6(1)	अनिर्णीत	

4	पैरा 6(3,4,5)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(6)	निर्णीत	(दिए गए स्पष्टीकरण उपरान्त पैरा निर्णीत)
6	पैरा 6(7)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7(1,2,3,4)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	निर्णीत	(दिए गए स्पष्टीकरण उपरान्त पैरा निर्णीत)
9	पैरा 9	निर्णीत	(दिए गए स्पष्टीकरण उपरान्त पैरा निर्णीत)
10	पैरा 10	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12(1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/08 से 03/11 मे दी गई है।)
13	पैरा 12(2,3,4)	अनिर्णीत	
14	पैरा 13(क,ख)	निर्णीत	(अभिलेख का अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया।)
15	पैरा 14(क,ख,ग तथा घ)	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उत्तर उपरान्त पैरा निर्णीत किया।)
16	पैरा 14(ङ)(1,2,3,4,5,6)	अनिर्णीत	
17	पैरा 15	अनिर्णीत	
16	पैरा 16	अनिर्णीत	
17	पैरा 17	अनिर्णीत	
18	पैरा 18(1 व 2)	अनिर्णीत	
19	पैरा 19(1)	निर्णीत	(वसूली की राषि की सत्यापना उपरान्त पैरा निर्णीत)
20	पैरा 19(2)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत)

21	पैरा 19(3 तथा 4)	अनिर्णीत	
22	पैरा 20(1)	निर्णीत	(जी–8 रसीद संख्याः 2/44, दिनांक 21.11.08 द्वारा वसूली कर ली गई थी पैरा निर्णीत।)
23	पैरा 20(2)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत	
24	पैरा 20(3)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत	
25	पैरा 20(4)(क,ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 21(1 व 2)	अनिर्णीत	
27	पैरा 22(1,2,3)	अनिर्णीत	
28	पैरा 23	अनिर्णीत	
29	पैरा 24	अनिर्णीत	
30	पैरा 25(क)(1)	अनिर्णीत	
31	पैरा 25(ख)(1,2,3,4,5,6)	अनिर्णीत	
32	पैरा 25(ग)(1,2)	अनिर्णीत	
33	पैरा 25(घ)(1,2,3,4,5)	अनिर्णीत	
34	पैरा 26(1)(क,ख,ग,घ,ङ,च)	अनिर्णीत	
35	पैरा 26(1)(छ)(1,2,3)	अनिर्णीत	

¼3½ vad{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@2005 l 03@2008

Øe l[;k	iSjk l[;k	fLFkfr	fVIi.kh
1	पैरा 1	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क पत्र संख्या NP. Suni(2008)-14, dated 06-01-2009 के द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्याः 1916171, दिनांक 04.12.08 तथा 1916286, दिनांक 06.01.09 राषि ₹20,400 व ₹600 जमा की।)

2	पैरा 2(अ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/08 से 03/11 में दी गई है)
3	पैरा 2(ब)	अनिर्णीत	
4	पैरा 2(3)	निर्णीत	(प्रविष्टियों की जाँच उपरान्त पैरा निर्णीत)
5	पैरा 2(4)	निर्णीत	(रोकड़ बही में प्रविष्टि की जाँच उपरान्त पैरा निर्णीत)
6	पैरा 2(5)	अनिर्णीत	
7	पैरा 3(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
8	पैरा 4(क)(1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
9	पैरा 4(क)(2)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4(ख)(1)	अनिर्णीत	
11	पैरा 4(ख)(2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है।)
12	पैरा 4(ग)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच उपरान्त पैरा निर्णीत)
13	पैरा 4(घ)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर के अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत)
14	पैरा 4(ङ)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर के अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत)
15	पैरा 4(च)	अनिर्णीत	
16	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 4(ज)(1,2)	अनिर्णीत	
18	पैरा 4(ज)(4)	अनिर्णीत	
19	पैरा 4(ण)(1)	अनिर्णीत	

20	पैरा 4(ण)(2,3)	अनिर्णीत	
21	पैरा 5(क,ख)	निर्णीत	(पैरे में दी गई राषि की वसूली अंकेक्षण दौरान ही कर ली गई थी।)
22	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5(घ)	निर्णीत	(वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों मे वसूली की सत्यापना उपरान्त पैरा निर्णीत) (वसूली राषि ₹16,595)
24	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत	
25	पैरा 5(च)	अनिर्णीत	
26	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(च)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(छ)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 17/68, दिनांक 30.03.12 द्वारा वसूली की सत्यापना उपरान्त पैरा निर्णीत)
33	पैरा 7(क)	निर्णीत	(दी गई सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत)
34	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	
36	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	
37	पैरा 8	निर्णीत	
38	पैरा 9	निर्णीत	

39	पैरा 10(क)	निर्णीत	
40	पैरा 10(ख)	निर्णीत	
41	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है।)